

409, Fourth Floor, Shalimar Titanium Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh CIN No.U40105UP2009PLC038216 e-mail- info@seupptcl.com;

(ऑनलाइन प्रपोजल संख्या - FP/UP/TRANS/21539/2016)

न्यूनतम वन भूमि उपयोग प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765के॰ वी॰ एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण कार्य में माँगी गयी निम्नलिखित वन भूमि परियोजना कि आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम है एवं माँगी गयी वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है।

क्रम	वन प्रभाग	संरक्षित वन भूमि (हे०)	आरक्षित वन भूमि (हे०)	कुल वन भूमि
1	मैनपुरी	1.5364	0.0000	1.5364
2	कन्नौज	0.3200	0.0000	0.3200
3	कानपुर नगर	0.8155	3.5583	4.3738
4	उन्नाव	0.6813	8.7003	9.3816
	कुल भू परिवर्तन का क्षेत्रफल	3.3532	12.2586	15.6118

अनुराग शुक्ला ग्रुप हेड oower Tr

प्रतिहस्ताक्षरित



409, 4th Floor, Shalimar Titanium,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seupptcl.com

(Proposal No. - FP/UP/TRANS/21539/2016)

Lease Rent Certificate

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF LEASE PREMIUM & ANNUAL LEASE RENT IF APPLICABLE UNDER FOREST (CONSERVATION) ACT, 1980 & MoEF&CC GUIDELINES FOR TRANSMISSION PROJECTS.

I, Anurag Shukla, authorized signatory of 765kV S/C Mainpuri - Unnao Transmission Limited, on behalf of South East U.P. Power Transmission Company Limited do hereby undertake that as per MoEF&CC guidelines & Forest (Conservation) Act 1980, premium & Lease rent is applicable on proposal seeking approval under section (iii) for grant of forest land on lease. In respect of diversion of **3.5583Ha** Reserve Forest in **Kanpur Nagar** Forest Division & **8.7003Ha** Reserve Forest in **Unnao** Forest Division under section 2 (ii) provision of payment of lease premium & annual lease rent is not applicable. However, if there is a revision of MoEF&CC guidelines, South East U.P. Power Transmission Company Limited hereby undertakes to provide lease premium & annual lease rent as decided by the competent authority.

(Anurag Shukla)

Countersigned

Group Head
South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.



409, Fourth Floor, Shalimar Titanium Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh CIN No.U40105UP2009PLC038216 e-mail- info@seupptcl.com;

Ref: SEUPPTCL / LKO / 25 / 8 05

Date: 21/01/2025

सेवा में, प्रभागीय वनाधिकारी, मैनपुरी / कन्नौज / कानपुर नगर / उन्नाव उत्तर प्रदेश

विषय : ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या : FP/UP/TRANS/21539/2016 में साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसिमशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 765 के० वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी - उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नीज में प्रभावित 0.3200 हे० संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर नगर में प्रभावित 0.8155 हे० संरक्षित एवं 3.5583 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 398 के वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.6813 हे० संरक्षित एवं 8.7003 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 1502 वृक्षों के पातन अर्थात 3.3532 हे० संरक्षित एवं 12.2586 हे० आरक्षित वनभूमि कुल - 15.6118 हे० वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2146 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : 1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ॰ प्र॰, लखनऊ के पत्रांक संख्या 1888/11- सी – FP/UP/TRANS/21539/2016, लखनऊ, दिनांक : जनवरी 13,2025.

LUCKNOW

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव संख्या / पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अंतर्गत ऑनलाइन प्रस्ताव में परीक्षणोंपरान्त कुछ किमयां पायी गयी थी, जिसका विंदुवार निराकरण करके आपके अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रस्तुत है :-

क्रम०	आख्या	निराकरण
1	मैनपुरी, नानपुर एवं उन्नाव से सम्बंधित वन प्रभागों की के॰ एम्॰ एल॰ का	संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
	क्षेत्रफल सेगमेंट एरिया में फीड किये गए क्षेत्रफल से भिन्न है, अतः सही के०	
	एम्॰ एल॰ फाइल, सेगमेंट एरिया में सही क्षेत्रफल सहित अपलोड करें तथा	
	सभी वन प्रभागों की के० एम्० एल० फाइल में गैर वन भूमि को भी रेड कलर में	
	दर्शाते हुए Continuity में पूर्ण के॰ एम्॰ एल॰ फिलर अपलोड करें।	
2	मैनपुरी, कानपुर एवं उन्नाव से सम्बंधित वन प्रभागों की ऑनलाइन अपलोड	संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
	किया गया प्रस्तावित वन भूमि की त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त विन्दु -१ के	
	अनुसार संशोधित यथास्थान पर अपलोड करें।	
3	ऑनलाइन के क्रमांक -D (i) में अपलोड किया गया परियोजना वन भूमि में	संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
196.1	प्रस्तावित करने का औचित्य प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है।	
4	ऑनलाइन अपलोड किये गए सभी वन प्रभागों में प्रस्तावित वन भूमि की	संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
	टोपोषीत पर शीर्षक, लीजेंड विद्युत् पारेषण लाइन का संरेखण स्पष्ट नहीं है।	
5	ऑनलाइन अपलोड किये गए गज़ेट नोटिफिकेशन प्रभागीय वनाधिकारी,	सही गज़ेट नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया
	कन्नौज व कानपुर द्वारा चिन्हित नहीं है तथा प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव द्वारा	गया है।
	सत्यापित एवं चिन्हित अपलोड नहीं है।	
6	तीन वैकल्पिक रुट्स का तुलनात्मक जस्टिफिकेशन व के० एम्० एल० फाइल	अपलोड कर दिया गया है।
	अपलोड नहीं है।	
7	उन्नाव एवं कानपुर वन प्रभाग में प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष वर्तमान	अपलोड कर दिया गया है।
	दर पर वनभूमि के मूल्य के बराबर प्रीमियम और प्रीमियम का 10 प्रतिशत	
	वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता ऑनलाइन	
	अपलोड नहीं है।	
8	ऑनलाइन के क्रमांक -B-2.3, Village wise ब्रेकअप एवं एवं क्रमांक – B-2.4	सही कर दिया गया है।
-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1



409, Fourth Floor, Shalimar Titanium Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh CIN No.U40105UP2009PLC038216 e-mail- info@seupptcl.com;

-		
	component wise breakup में गैर वन भूमि का टोटल गलत है।	
9	ऑनलाइन के क्रमांक – D(a), copy of map indicating location of alternative examined में अपलोड टोपोषीत पर शीर्षक गलत अंकित है।	 गज़ेट नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गय है।
10	Additional Information Detail में अपलोड ई॰ डी॰ एस॰ उत्तर में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण है।अतः इसे डिलीट करें।	डिलीट कर दिया गया है।
11	कानपुर वन प्रभाग में वन अधिकार अधिनियम -2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण है। अत इसे डिलीट कर संशोधित FRA प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करें।	संशोधित FRA प्रमाण पत्र अपलोड कर दिर गया है।
12	Additional Information Detail में अपलोड न्यून्तम वनभूमि प्रमाण पत्र में उन्नाव वन प्रभाग में प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।	संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।

निवेदन है कि उपरोक्त प्रस्ताव उच्च स्तर को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

धन्यवाद,

कृते साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

अनुराग शुक्ला ग्रुप हेड

प्रतिलिपि : 1. वन संरक्षक, लखनऊ वृत्त, लखनऊ .

2. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अफसर, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, लखनऊ



409, 4th Floor, Shalimar Titanium, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh CIN No.U40105UP2009PLC038216 e-mail- info@seupptcl.com

(Proposal No. - FP/UP/TRANS/21539/2016)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर व्यय होने वाली धनराशि के वचनवद्धता सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रस्तावित 765 के॰ वी॰ एकल पथ मैनपुरी – उन्नाव ट्रान्सिमशन लाइन के निर्माण के दौरान जितने वृक्षों का पातन होगा उनकी क्षिति पूर्ति वन विभाग द्वारा पुनः वृक्षारोपण हेतु जो व्यय निर्धारित किया जायेगा उसका साउथ ईस्ट यू॰ पी॰ पावर ट्रान्सिमशन कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का निस्तारण किसी कारण वन विभाग द्वारा नहीं हो सका तो इन वृक्षों का मूल्य बाजार भाव से कार्य करने से पूर्व वन विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(संजर्थ कुमार सिंह)

महाप्रबंधक -पारेषण लाइन साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड प्रतिहस्ताक्षरित



409, Fourth Floor, Shalimar Titanium Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh CIN No.U40105UP2009PLC038216 e-mail- info@seupptcl.com;

Ref: SEUPPTCL / LKO / 24 / 138

Date: 14.02.24

सेवा में, प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मैनपुरी / कानपुर नगर / कन्नौज / उन्नाव, उत्तर प्रदेश

विषय : ऑनलाइन प्रपोजल संख्या - FP/UP/TRANS/21539/2016 में परिवेश 2.0 पोर्टल के ऑनलाइन पार्ट - 1 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस पत्र के माध्यम से आपको अवगत कराना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव के ऑनलाइन पार्ट -1 में परिवेश 2.0 के अभिलेखों की चेक लिस्ट के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपलोड किये जाने वाले सारे अभिलेख सत्यापित करके अपलोड कर दिए गए हैं।

परिवेश 2.0 पोर्टल के ऑनलाइन पार्ट - 1 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की चेकलिस्ट

क्रम	अभिलेख का नाम	प्रस्ताव जिसमें अभिलेख आवश्यक है
1	प्रस्तावित वन भूमि की के० एम्० एल० फाइल।	अपलोड है।
2	परियोजना वन भूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य प्रमाण पत्र।	अपलोड है।
3	प्रस्तावित वन भूमि का Geo Referenced Digital Map	अपलोड है।
4	लागत लाभ विश्लेषण सम्बंधित प्रमाण पत्र।	अपलोड है।
5	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी जाने वाली गैर	अपलोड है।
	वन भूमि का विवरण एवं वचनबद्धता।	
6	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी जाने वाली गैर	सोनभद्र वन प्रभाग में प्रस्तावित है,
	वनभूमि की के॰ एम्॰ एल॰ फाइल।	अपलोड है।
7	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी जाने वाली गैर	सोनभद्र वन प्रभाग में प्रस्तावित है,
	वन भूमि का	अपलोड है।

ऑनलाइन पार्ट - १ के एडिशनल इनफार्मेशन डिटेल्स में अपलोड किये जाने वाले अभिलेख :-

8	पावर ऑफ़ अटॉर्नी / अथॉरिटी पत्र ।	अपलोड है।	
9	प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बंधित वन भूमि की गणना।	अपलोड है।	9
10	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश / आदेश।	अपलोड है।	
11	वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं भारत सरकार द्वारा लगाईं जाने	अपलोड है।	
	वाली मानक शर्तें।		
12	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बंधित	अपलोड है।	
	वचनबद्धता ।		
13	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की	अपलोड है।	Cower Transm.
	वचनबद्धता एवं बढ़ी हुई एन० पी० वी० की धनराशि के भुगतान		1/0/
			" NO TICKNON 13



409, Fourth Floor, Shalimar Titanium Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh CIN No.U40105UP2009PLC038216 e-mail- info@seupptcl.com;

	. write	
	की वचनबद्धता।	
14	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो० नि० वि० / एन० एच० ए० आई० /	अपलोड है।
	रेलवे / सिंचाई विभाग) का अनापत्ति प्रमाण पत्र।	
15	वन क्षेत्र के गैज़ेटे के नोटिफिकेशन की चिन्हित एवं प्रमाणित	अपलोड है।
	छायाप्रति।	
16	वन अधिकार अधिनियम -2006 सम्बन्धी जिलाधिकारी का प्रमाण	अपलोड है।
	पत्र / वचनबद्धता।	
17	मलवा उत्सर्जन सम्बंधित प्रमाण पत्र (भारत सरकार के निर्धारित	अपलोड है।
	प्रारूप में)।	
18	कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।	अपलोड है।
19	बाधक वृक्षों की दशा में प्रयोक्ता एजेंसी से की शर्त के अनुपालन	अपलोड है।
	हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र।	
20	लो॰ नि॰ वि॰ / एन॰ एच॰ ए॰ आई॰ द्वारा अनुमोदित ले आउट	लागू नहीं
	प्लान।	
21	तीन वैकल्पिक रूट्स का जिओ रेफिन्स मैप, टोपोशीट एवं	अपलोड है।
	तुलनात्मक जस्टिफिकेशन् ।	
22	आरक्षित वन भूमि का सर्किल रेट के आधार पर वन भूमि के मूल्य	अपलोड है।
	के बराबर प्रीमियम और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रैंट	
	वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता।	
23	CA हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं	
	अधिभार से मुक्त (free from all sorts of encumbrances	अपलोड है।
	and encroachments) होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।	
24	Covering letter	अपलोड है।
25	अन्य सुसंगत अभिलेख (प्रताव की आवश्यकता अनुसार)	अपलोड है।
26	समस्त अभिलेख अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित ही अपलोड	समस्त अभिलेख अधिकृत अधिकारी
	किये जाएँ ।	द्वारा सत्यापित है।

निवेदन है कि आपके स्तर पर अभिलेखों की जांच और ऑनलाइन पार्ट -२ को पूर्ण करके प्रस्ताव को अग्रेसित करने का कष्ट करे।

धन्यवाद,

संज्ञय कुमार सिंह महाप्रबंधक - पारेषण

ower Tra

LUCKNOW



409, Fourth Floor, Shalimar Titanium Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh CIN No.U40105UP2009PLC038216 e-mail- info@seupptcl.com;

Ref: SEUPPTCL / LKO / 24 / 138

Date: 14.02.24

सेवा में, प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मैनपुरी / कानपुर नगर / कन्नौज / उन्नाव, उत्तर प्रदेश

विषय : ऑनलाइन प्रपोजल संख्या - FP/UP/TRANS/21539/2016 में परिवेश 2.0 पोर्टल के ऑनलाइन पार्ट - 1 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस पत्र के माध्यम से आपको अवगत कराना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव के ऑनलाइन पार्ट -1 में परिवेश 2.0 के अभिलेखों की चेक लिस्ट के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपलोड किये जाने वाले सारे अभिलेख सत्यापित करके अपलोड कर दिए गए हैं।

परिवेश 2.0 पोर्टल के ऑनलाइन पार्ट - 1 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की चेकलिस्ट

क्रम	अभिलेख का नाम	प्रस्ताव जिसमें अभिलेख आवश्यक है
1	प्रस्तावित वन भूमि की के० एम्० एल० फाइल।	अपलोड है।
2	परियोजना वन भूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य प्रमाण पत्र।	अपलोड है।
3	प्रस्तावित वन भूमि का Geo Referenced Digital Map	अपलोड है।
4	लागत लाभ विश्लेषण सम्बंधित प्रमाण पत्र।	अपलोड है।
5	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी जाने वाली गैर	अपलोड है।
	वन भूमि का विवरण एवं वचनबद्धता।	
6	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी जाने वाली गैर	सोनभद्र वन प्रभाग में प्रस्तावित है,
	वनभूमि की के॰ एम्॰ एल॰ फाइल।	अपलोड है।
7	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी जाने वाली गैर	सोनभद्र वन प्रभाग में प्रस्तावित है,
	वन भूमि का	अपलोड है।

ऑनलाइन पार्ट - १ के एडिशनल इनफार्मेशन डिटेल्स में अपलोड किये जाने वाले अभिलेख :-

8	पावर ऑफ़ अटॉर्नी / अथॉरिटी पत्र ।	अपलोड है।	
9	प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बंधित वन भूमि की गणना।	अपलोड है।	9
10	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश / आदेश।	अपलोड है।	
11	वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं भारत सरकार द्वारा लगाईं जाने	अपलोड है।	
	वाली मानक शर्तें।		
12	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बंधित	अपलोड है।	
	वचनबद्धता ।		
13	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की	अपलोड है।	Cower Transm.
	वचनबद्धता एवं बढ़ी हुई एन० पी० वी० की धनराशि के भुगतान		1/0/
			" NO TICKNON 13



409, Fourth Floor, Shalimar Titanium Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh CIN No.U40105UP2009PLC038216 e-mail- info@seupptcl.com;

	. write	
	की वचनबद्धता।	
14	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो० नि० वि० / एन० एच० ए० आई० /	अपलोड है।
	रेलवे / सिंचाई विभाग) का अनापत्ति प्रमाण पत्र।	
15	वन क्षेत्र के गैज़ेटे के नोटिफिकेशन की चिन्हित एवं प्रमाणित	अपलोड है।
	छायाप्रति।	
16	वन अधिकार अधिनियम -2006 सम्बन्धी जिलाधिकारी का प्रमाण	अपलोड है।
	पत्र / वचनबद्धता।	
17	मलवा उत्सर्जन सम्बंधित प्रमाण पत्र (भारत सरकार के निर्धारित	अपलोड है।
	प्रारूप में)।	
18	कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।	अपलोड है।
19	बाधक वृक्षों की दशा में प्रयोक्ता एजेंसी से की शर्त के अनुपालन	अपलोड है।
	हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र।	
20	लो॰ नि॰ वि॰ / एन॰ एच॰ ए॰ आई॰ द्वारा अनुमोदित ले आउट	लागू नहीं
	प्लान।	
21	तीन वैकल्पिक रूट्स का जिओ रेफिन्स मैप, टोपोशीट एवं	अपलोड है।
	तुलनात्मक जस्टिफिकेशन् ।	
22	आरक्षित वन भूमि का सर्किल रेट के आधार पर वन भूमि के मूल्य	अपलोड है।
	के बराबर प्रीमियम और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रैंट	
	वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता।	
23	CA हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं	
	अधिभार से मुक्त (free from all sorts of encumbrances	अपलोड है।
	and encroachments) होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।	
24	Covering letter	अपलोड है।
25	अन्य सुसंगत अभिलेख (प्रताव की आवश्यकता अनुसार)	अपलोड है।
26	समस्त अभिलेख अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित ही अपलोड	समस्त अभिलेख अधिकृत अधिकारी
	किये जाएँ ।	द्वारा सत्यापित है।

निवेदन है कि आपके स्तर पर अभिलेखों की जांच और ऑनलाइन पार्ट -२ को पूर्ण करके प्रस्ताव को अग्रेसित करने का कष्ट करे।

धन्यवाद,

संज्ञय कुमार सिंह महाप्रबंधक - पारेषण

ower Tra

LUCKNOW

प्रभावित वन भूमि से 10 कि॰ मी॰ की परिधि में कोई सेंचुरी / वन जीव विहार नहीं है सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है , कि प्रस्तावित 765 के॰ वी॰ एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रान्सिमशन लाइन क्षेत्र में 10 कि॰ मी॰ की परिधि में कोई सेंचुरी, वन विहार , सरकारी फार्म, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी, कॉरिडोर आदि नहीं है।

(संजय कुमार सिंह)

गहाप्रबंधक पारेषण लाइन साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड प्रतिहस्ताक्षरित

वन प्रभाग

(सम्बन्धित उप-वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

	परियोज	नना / स्कीम का स्थान	:	जनपद कन्नौज में साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्सिमशन कम्पनी लि0 द्वारा प्रस्तावित 675 कें0वी0 पारेषण लाइन मैनपुरी से उन्नाव तक निर्माण हेतु प्रभावित 0.302 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर 0.32 वानिकी प्रयोग की अनुमति।
-	i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	:	उत्तर प्रदेश
	ii)	जिला	:	कन्नीज
	iii)	वन प्रभाग	:	कन्नौज वन प्रभाग कन्नौज
1	iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए वन भूमि का क्षेत्र		0.302 हेक्टेयर
-	v)	वन का कानूनी रिथति	7	संरक्षित वन
	vi)	हरियाली का घनत्व	:	0.3
	vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (सलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर.एल. एफ.आर.एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल4 मीटर भी संलग्न किया जाये)		कन्नौज वन प्रभाग में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि पर बाधक वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है।
- 1	viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	;	नहीं
	ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दुरी।	:	प्रस्तावित स्थल के आस-पास वन क्षेत्र नहीं है।
	x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल, रिजर्व, बाध रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है। (यदि हों, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्स जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित अनुबन्धित की जाए)		नहीं
	xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लम / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं यदि हां तो तत्सराम्बन्धी वयोरा दें।	:	नहीं
	xii)	वया कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य पहत्वपूर्ण रमारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी बयोरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।		नहीं
8	भार			: प्रस्तावित क्षेत्र अपरिहार्य एवं न्यूनतम् है।
9	क्या	अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया:— (हॉ / नहीं) हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही इत कार्य का ब्योदा दें क्या उल्लंघ सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे		: नहीं
10	प्रति	ापूरक वनीकरण का ब्योरा		

	i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	;	क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस प्रभाग में नहीं किया जा रहा है।
	ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप	:	क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस प्रभाग में नहीं किया जा रहा है।
	iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण रकीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूयी, लागत ढांवा आदि।	:	क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस प्रभाग में नहीं किया जा रहा है।
	iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	:	क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस प्रभाग में नहीं किया जा रहा है।
	v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।	:	क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस प्रभाग में नहीं किया जा रहा है।
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (x, xi) 8 व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	:	संलग्न है।
12		विभाग/जिला प्रोफाइल	:	
	+ i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	:	212923.00 हेक्टेयर
	ii)	जिले का वन क्षेत्र	:	5398.255 हेक्टेयर
	iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	:	22, 199.76 हेक्टेयर
	iv)	1980 से जिला / प्रयोग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	1:	
		(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण	:	-
		(ख) वनेतर भूमि पटन	:	86.594 हेक्टेयर
	v)	तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	;	-
		(क) वनभूमि पर	1:	32.80 हेक्टेयर
********		(ख) ऊसर भूगि पर	1:	118.72 हेक्टेयर
13	प्रर में	ां को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	:	प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(राकेश कुमार सिंह) प्रभीगीयियवझाधिकाशीरी कम्झीलन्बसम्प्रभाकन्गीज कन्त्रील

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज पत्रांक - १८७५ / १४-१, कन्नौज, दिनांक, १६/६५ / ,2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल, कानपुर

विषय:— साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसिमशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 765 के० वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी - उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे० संरक्षित एवं 3.5583 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 398 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.6813 हे० संरक्षित एवं 8.7003 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 1502 वृक्षों के पातन अर्थात 3.3788 हे० संरक्षित एवं 12.2586 हे० आरक्षित वनभूमि कुल 15.6118 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2146 वृक्षों के पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 2965 / 11—सी— FP/UP/Trans/21539/2016 दिनांक 15.04.2025 ।

महोदय, उपरोक्त विषयक कम में अनुरोध है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव में कितिपय आपित्तियाँ प्रेषित की गयी है। अतः उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में उठायी गयी आपित्तियों का निराकरण कर वॉछित अभिलेख / वचनबद्धता प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर आख्या निम्नवत् प्रेषित है—

क0	आपत्ति	निराकरण/आख्या
सं0		
1	2	3
1	ऑनलाइन अपलोड किये गये पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों	स्ही महंगाई दर अनुसार प्राक्कलन
	में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का	संशोधित कर ऑनलाइन पोटेल प
	अनुरक्षण सहित प्राक्कलन में महगाई दर त्रुटिपूर्ण ली गयी है।	अपलोड कर दिया गया है।
	अतः सही महॅगाई दर के अनुसार संशोधित प्राक्कलन ऑनलाइन	
	अपलोड करें।	
2	सी०ए० समेकित रूप से सोनभद्र वन प्रभाग में प्रस्तावित है। उक्त	ऑनलाइन पार्ट-2 के क्रमांव
	सूचना उन्नाव वन प्रभाग द्वारा भरी जानी है। अतः क्रमांक 13(i),	13(i), (ii), (iii), (iv) एवं (v)
	(ii), (iii), (iv) एवं (v) में अपलोड अभिलेख व डाटा डिलीट करें।	अपलोड अभिलेख व डाटा डिलीव
		कर दिये गये हैं।
3	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी०डी०एफ०	संशोधित पी०डी०एफ० फाइट
	फाइल ऑनलाइन अपलोड करें।	ऑनलाइन अपलोड कर दी गर्थ
		है।
SUNT.		

संलग्नक:- यथोपरि ।

(डॉo हेमन्त कुमार सेठ) प्रभागीय वनाधिकारी कुन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज पत्रांक 2534 /समदिनांकित

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महाप्रबन्धक, साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ट्रान्सिमशन कम्पनी लि०, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (डॉ० हेमन्त कुमार सेठ) प्रभागीय वनाधिकारी कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी। (Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest land to be diverted under FCA-1980)

A proposal has been received by this office from **General Manager (Transmission)**, South East U.P. Power Transmission Co. Ltd., Lucknow for diversion (under FCA-1980) of protected 0.3200Ha forest land for non forestry purpose. The project envisages the use of protected forest land for non forestry purpose. The project envisages the use of protected forest land to be diverted for construction of **765kv S/C Mainpuri – Unnao transmission line**.

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on date .12:12: .2022

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a protected forest land measuring area of 0.3200Ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 of part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details thereof. **NIL**.

Whether any protected archaeological / heritage site / defence establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required. **NIL.**

- a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. **Yes.**
- b) It has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act, 1980 provisions. A detailed report as per para 1.9 of Chapter 1, Part C of Hand book of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached. **No.**

Recommendations for acceptance of the proposal.

Place...... Date :..... प्रभागीय वनाधिकारी Divisional Forest Officer



Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्रo राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी। (Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)

संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग कृत्रौज तथा साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसिमशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक. 12.12.2.2.2. को किया गया। प्रभावित संरक्षित वन भूमि जनपद कृत्रौज के अंतर्गत बेला - तिर्वा मार्ग (NH-91A) के किमी० 39-40, लोअर गंगा कैनाल कानपुर ब्रांच के किमी० 37/3 -37/4, सौरिख - बिधूना (MDR) मार्ग के किमी० 31/3 - 31/4, के दोनों तरफ तहसील - छिबरामऊ, जिला - कृत्रौज (उत्तर प्रदेश) में प्रभावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल (कृत्रौज वन प्रभाग में – 0.3200हे०) है।

प्रभावित संरक्षित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

महाप्रबंधक - पारेषण

साउथ ईस्ट यू॰ पी॰ पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड





Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी। (Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)

न्यूनतम वनभूमि प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के॰ वी॰ एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रान्सिमशन लाइन के निर्माण कार्य में क्षेत्रफल 0.3200 हेक्टेयर में निर्माण कार्य में मार्ग के दोनों तरफ पड़ने वाले वृक्षो एवं पटरी वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है, और मांगी गयी संरक्षित वन भूमि योजना की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम है।

(संजय कुमार सिंह)

महाप्रबंधंक -पारेषण लाइन साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी

कन्नीज वन प्रभाग

प्रमाण पत्र— शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की गणना

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद कन्नौज में साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ट्रान्सिमशन कम्पनी लि0 द्वारा प्रस्तावित 675 के०वी० पारेषण लाइन मैनपुरी से उन्नाव तक निर्माण हेतु प्रभावित 0.32 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की आवश्यकता है। प्रभावित हो रही संरक्षित भूमि जिसका शुद्ध वर्तमान मूल्य निम्न प्रकार है—

वन का प्रकार	क्षेत्रफल हे0 में	ईको क्लास	घनत्व	दर प्रति हे0 (रू0 में)	धनराशि
1	2	3	4	5	6
संरक्षित वन भूमि	0.32	III	0.3	9,57,780.00	3,06,489.6 या
17.1					3,06,490.00

(रू० तीन लाख छः हजार चार सौ नब्बे मात्र)

(प्राकेश कुमार सिंह)

प्रभागाय वनाधिकारी, प्रभागाय वनाधिकारी, कन्नीज वन प्रभाग, कन्नीज वनप्रभाग,



409, Fourth Floor, Shalimar Titanium Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh CIN No.U40105UP2009PLC038216 e-mail- info@seupptcl.com;

(Proposal No. - FP/UP/TRANS/21539/2016)

Net Present Value (N.P.V.) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 765 के॰ वी॰ एकल पथ मैनपुरी – उन्नाव ट्रांसिमशन लाइन के निर्माण कार्य में उपयोग आने वाली वन भूमि 0.3200 हे॰ संरक्षित वनभूमि है, जो वन विभाग की जमीन है, जिसकी Net Present Value (NPV) की धनराशि साउथ ईस्ट यू॰ पी॰ पावर ट्रांसिमशन कंपनी लिमिटेड अदा करने हेतु वचनबद्ध है।

भविष्य में यदि माननीय उच्चतम न्यायालय या भारत सरकार के द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में कोई बदलाव होता है तो नए दर से धनराशि अदा करने हेतु साउथ ईस्ट यू॰ पी॰ पावर ट्रांसिमशन कंपनी लिमिटेड वचनबद्ध है।

General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

(संजय कुमार सिंह) महाप्रबंधक -पारेषण लाइन साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड. प्रभागनिहरूपाधिकारी

(PROPOSAL NO. FP/UP/TRANS/21539/2016)

765 के॰ वी॰ एकल परिपथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित वृक्षों की सूची कन्नौज रेंज - कन्नौज

क्रम	स्थानीय	वै ज्ञानिक	(00-30)	(31-60)	(61-90)	(91-	(121-	(>150)	
	नाम	नाम	सेमी0	सेमी0	सेमी0	120)	150)	सेमी0	
						सेमी0	सेमी0		
1	ढाक	Butea monosperma	- 0	0	0	1	0	0	
2	जामुन	Syzigium cumini	0	1	0	1	0	0	
3	विलायती बबूल	Prosophis juliflora	0	0	0	0	0	2	
4	कनकुड़िआ	NA	0	1	0	0	0	0	
5	पीपल	Ficus religiosa	0	0	1	0	0	0	
6	शीशम	Dalburgia sisoo	0	1	0	0	0	0	
कुल		0	3	1	2	0	2		
कुल पेड़ों की संख्या			3 08						

.(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

प्रभागीय वनाधिकारी कलोज वनप्रभाग कन्नोज

वनस्वरूप क्षेत्रों सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद कन्नौज में प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी – उन्नाव ट्रान्सिमशन लाइन के निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वन स्वरुप के रूप में चिन्हित भूमि शामिल नहीं है

(संजय कुमार सिंह)

महाप्रबंधक -पारेषण लाइन साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्सिमशन कम्पनी लिमिटेड प्रतिहस्ताक्षरित .

प्रभागीय वनधिकारी कन्नीज वन प्रभाग कन्नीज



Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी। (Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)

वन्यजीव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है , कि प्रस्तावित 765 के॰ वी॰ एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रान्सिमशन लाइन क्षेत्र में सरकारी फार्म, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी, कॉरिडोर आदि सम्मिलित नहीं है।

(संजय कुमार सिंह)

महाप्रबंधक -पारेषण लाइन साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्सिमशन कम्पनी लिमिटेड प्रतिहस्ताक्षरित

CS

क्रिज वन प्रभाग



Shalimar Titanium, 4rth Floor, Office No. 409
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216

SEUPPTCL/LKO /2024/ 430

Dated: 21.06.2024

To.

Nodal Officer & Conservator of Forest Forest Utility Circle - Aranya Bhavan Lucknow

Subject: Additional authorization of Mr. Anurag Shukla regarding submission of Forest Proposals.

Dear Sir,

This is to inform you that, Mr. Anurag Shukla is working with our organization as a Group Head and he is also responsible to execute all kind of forest related work for the transmission lines under the jurisdiction of SEUPPTCL. We hereby authorize him also for all kind of work related to your good office like submission of forest proposals, correspondence, coordination etc. His signature is attested below.

Your kind cooperation in this regard is requested.

Thanking You,

Yours Faithfully

For South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

Sachin Mujumdar

(Chief Executive Officer)

Anurag Shukla Group Head



Levana Cyber Heights, 1st Floor, Office No. 117-B Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh CIN No.U40105UP2009PLC038216

e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

SEUPPTCL/2021-22/ 309

Date: 21/12/2021

To,

Nodal Officer & Conservator of Forest Forest Utility Circle – Aranya Bhavan Lucknow

Subject: Authorization of MR. SANJAI KUMAR SINGH regarding submission of Forest Proposals.

Dear Sir,

This is to inform you that, MR. SANJAI KUMAR SINGH (S. K. SINGH) is working with our organization as a GENERAL MANAGER and he is responsible to execute all kind of forest related work for the transmission lines under the jurisdiction of SEUPPTCL. We hereby authorize him for all kind of work related to your good office like submission of forest proposals, correspondence, coordination etc. His signature is attested below.

Your kind coopration in this regard is requested.

Thanking You, Yours Faithfully

For South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

Chief General Manager

Signature of Mr. SANJAI KUMAR SINGH

Attested.

(Ravinder Singh) Chief General Manager South East, U.P. Power Transmission Co. Ltd.